

निदेशालय

महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

जलेब चौक, जयपुर।

फोन :- 0141-2612591, फ़ैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : psa.hgcd.ri@nic.in
Website : <http://rajasthanhomeguards.gov.in/>

क्रमांक: प.37 () गृहमु/पीएसएएल/2017/4103-04

दिनांक: 11.02.2019

समस्त,
पुलिस अधीक्षक,
राजस्थान।

विषय:- जिले में कार्यरत निजी सुरक्षा एजेन्सीयों की सूची के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार, गृह मन्त्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण अनुभाग के पत्रांक 24021/05/2018-पी.एम-1, दिनांक 31.07.2018 (सलंगन) के द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त भारत में बिना वैद्य लाइसेन्स प्राप्त किये किसी भी प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी को किसी भी सरकारी कार्यालय/निजी संस्थानों द्वारा निजी सुरक्षा की निविदा आवंटित नहीं कि जावे। यहां यह उल्लेखनीय है कि बिना लाइसेन्स के काय करने वाली निजी सुरक्षा एजेन्सीज भविष्य में कभी भी सुरक्षा सम्बन्धी समस्या उत्पन्न करा सकती है।

राजस्थान में कार्यरत सभी वैध अनुज्ञाधारक सुरक्षा एजेन्सीयों की सूची विभागीय वेबसाईट [http://home.rajasthan.gov.in/home guard](http://home.rajasthan.gov.in/home_guard) पर उपलब्ध है। अतः आप अपने अधीनस्थ सभी वृताधिकारी/थानाधिकारीयों को निर्देशित करें कि वह यह सनिश्चित करले की उनके अधिकार क्षेत्र में निजी सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक उपलब्ध कराने वाली एजेन्सीज के पास वैद्य लाइसेन्स है। आप द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे ताकि अवैध रूप से निजी सुरक्षा का कार्य करने वाली एजेन्सीज पर रोक लगाई जा सके।

ह/-

(यू. आर. साहू)

अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस
गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रभारी कम्प्यूटर सैल मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस
गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान,
जयपुर।